संख्या-59/2024/961 /26-3-2024/CN-1613282

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च 2024**

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर में बैट्री रखने हेतु कक्ष की मरम्मत तथा टॉयलेट की सीट व पाइप ठीक कराये जाने हेतु धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-509/ज0जा0वि0/2023-24, दिनांक-20-03-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर में स्थापित सोलर प्लान्ट की बैटरियां रखने हेतु कक्ष की मरम्मत कराने हेतु धनराशि रू0 4,65,000.00 (रू0 चार लाख पैसठ हजार मात्र) के आगणन के अनुसार व टॉयलेट की मरम्मत कराने हेतु स्थानीय प्लम्बर द्वारा अनुमानित लागत धनराशि रू0 35000.00 (रू0 पैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 5,00,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-25-लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर में बैट्री रखने हेतु कक्ष की मरम्मत तथा टॉयलेट की सीट व पाइप ठीक कराये जाने हेतु **धनराशि रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप

संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0 एस 0 टी0) की धनराशि नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा जी0 एस 0 टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0 एस 0 टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कराये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, जनजाति विकास की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(8) यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास, उ 0 प्र 0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करते समय आदर्श चुनाव आचार संहिता 2024 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-5,00,000 (रूपये पांच लाख) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 081 लेखाशीर्षक 4225027960600 अनुसूचित जनजातियों के लिए राज़कीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण के मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by रजनीश चन्द्र
Date: 30-03-2024 17:14:40
Reason: Approved
(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव

पृसं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, बलरामपुर ।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ 0 प्र 0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन 0 आई 0 सी0।
10- गार्डफाइल ।

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव